रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 201] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 1972/चैत्र 24, 1894
No. 201] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 1972/CHAITRA 24, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

**(Legislative Department)**

NOTIFICATION

*New Delhi, the 13th April 1972*

**S.O. 287(E).**—In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the vacancy in the Council of States is published for general information:—

*Declaration*

*bye-election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Meghalaya.*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Shri Showaless K. Shilla of Panaliar, Jowai P.O., Jaintia Hills Dist.

has been duly elected to fill the vacancy in that House by the seat of a member allotted to the State of Meghalaya having become vacant.

Place: Shillong.

Date: 8th April, 1972.

(Sd.) N. C. HANDIQUE,
Returning Officer.".

[No. F. 13(1)/72-Leg. II.]

K. K. SUNDARAM, Jt. Secy.

## विधि और न्याय मंत्रालय

### (विधायी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 1972

**का०आ० 227(अ).**—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम दिया गया है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

### घोषणा

**मेघालय विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिये उप-निर्वाचन**

"निर्वाचनों का संचलन नियम, 1961 के नियम 84 के उप नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूं कि मेघालय प्रदेश को उस सदन में आबंटित किए गए स्थान के द्वारा हुई रिक्त को भरने के लिए—

पनालियर के श्री शोवालेस के शिल्ला,

डाकघर-जोवाई, जिला—जैन्तिया हिल्स

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थान : शिलांग

दिनांक : 8 अप्रैल, 1972

(ह०) एन० सी० हुन्दीक,
रिटर्निंग अधिकारी।

[फा० 13(1)/72-वि० II]

के० के० सुन्दरम्, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972